

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.  
प्रार्थनापत्र संख्या :- 20/2022

1. हरमेलसिंह

....प्रार्थी

बनाम

1 अमरसिंह वगै०

2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट

—: निर्णय :-

दिनांक :- 24.01.2022

उपरोक्त तथ्यों की मददेनजर रखते हुए अदालत द्वारा धारा 251ए आरटीएक्ट 1955 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 16 बीएलडी बी के मु०नं० 74/24 के किला नं० 1/2,10,11,20,21 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ 16.5 फीट रकबा को गैर-मुमकिन रास्ता के तौर पर स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि मुर्ब्बा नं० 75/17 का किला नं० 20 व 21 आराजीराज है इसलिए इन दो किलों में 04 भूमि को रास्ता दर्ज करने से पहले इस रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी जरूरी है।

तहसीलदार खाजूवाला राशि को जमा करवाने के बाद उक्त रास्ते का जमाबंदी में अंकन करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी,  
(खाजूवाला)

